बिहार सरकार,

पथ निर्माण विभाग

*

अधिसूचना

संख्या :—प0—6/नियम—03—04/2002 5737 (S) /पटना, दिनांक 07-05-07

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या ए2/नियम 3—01/97 — 4009 (एस) दिनांक 28 जून 1997 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 को जन साधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित की जाती है।

नियम

1. (i) यह बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 कहलायेगी।

   (ii) यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. ठीकेदारों को पथों एवं पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :—

   श्रेणी 1 : 3.50 करोड़ रूपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 2 : 70 लाख रूपये से 3.5 करोड़ रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 3 : 70 लाख रूपये से कम तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :—

   श्रेणी 1 : 2.00 लाख रूपये

   श्रेणी 2 : 1.00 लाख रूपये

   श्रेणी 3 : 25 हजार रूपये

4. (क) निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते है। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रदद् समझा जाएगा।

(ख) अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे।

(ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी निविदा डालने के लिये सक्षम होंगें।

5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करनी होगी :—

(क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

(ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति.

(ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof)

(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट " अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना" के पक्ष में देय तथा पटना में भुगतेय हो।

(च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉ की प्रति।

6. सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों के स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, पदावनत किये गये संवेदक, निलंबित सरकारी सेवक एवं न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति को किसी फर्म के सदस्य एवं व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में उनका निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।

7. नवीकरण :— पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

8. नवीकरण हेतु आवेदन देने के लिए अनुग्रह अवधि निबंधन समाप्ति हो जाने की तिथिं से एक माह तक होगी।

9. पथ निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी में वर्तमान निबंधित ठीकेदारों को संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपने निबंधनों का नवीकरण कराना होगा जिसके लिए उन्हे नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना होगा और ऐसा

नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की शर्तों को पूरा करें।

जिन संवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अन्तर्गत निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन लंबित हैं, उनके द्वारा संशोधित नियमावली के जिस श्रेणी में निबंधन/नवीकरण कराना चाहते हों उस श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गई चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा।

10. आवेदन पत्र :— इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट—'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगें। विभाग द्वारा परिशिष्ट—'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण—पत्र जारी किया जायेगा।

11. काली सूची तथा निलंबन :—

(क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निबन्धित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण पथ निर्माण विभाग के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलंबित किया जा सकेगा अथवा अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में पदावनत (Demote) किया जा सकेगा :—

(i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।

(ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।

(iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियां, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।

(v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।

(vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।

(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।

(viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।

(ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायफ्ता होने पर।

(x) सोची–समझी साजिश के तहत् संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।

(ख) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा पदावनत (Demote) करने अथवा निलंबन करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

(ग) काली सूची में डालने पदावनत (Demote) करने का आदेश/निलंबन का आदेश संबंधित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

(घ) दिये गये दण्ड के विरूद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

12. एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन के लिये नया निबंधन करना अनिवार्य होगा।

13. निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ एटारनी' में परिवर्तन की स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही निविदा में इसकी मान्यता दी जायेगी।

14. निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

7/5/07
(मोईजुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

07

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना

पत्रांक–प्र06 / नियम–03–04 / 2002 4104 (E) पटना, दिनांक 28/10/09

प्रेषक,

रामध्यान राम
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग
(रा0उ0प0 उपभाग सहित)।

विषयः निबंधित ठीकेदारों को कदाचार अथवा अनुशासनहीनता के विरूद्ध दण्डित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–5737(एस) दिनांक 07.05.2007 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 लागू किया गया है। नियमावली के नियम 11(क) में क्रमांक (i) से (x) पर यथा उपबंधित कदाचार/अनुशासनहीनता किसी निबंधित ठीकेदार या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा फर्म के साझीदार अथवा किसी लोक सीमित कम्पनी के निदेशक या तकनीकी कर्मचारी के विरूद्ध पाये जाने पर निबंधित ठीकेदार या फर्म या लोक सीमित कम्पनी को दण्ड स्वरूप कालीसूची में डालने अथवा निश्चित अवधि के लिए निलम्बित करने अथवा अपने श्रेणी के नीचे की श्रेणी में पदावनत (Demote) किये जाने का प्रावधान है। परन्तु नियमावली में उपबंधित कदाचारों में किन–किन कदाचारों के लिये संवेदक के निबंधन को निलम्बित किया जायेगा या किन कारणों के लिये एक श्रेणी नीचे पदावनत किया जायेगा या किन कारणों के लिये संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा, के मापदण्ड का उल्लेख नहीं रहने के कारण तदनुसार दण्ड निर्धारण में एकरूपता रखने में कठिनायी होती है।

अतः विचारोपरान्त एवं निर्णयानुसार निबंधित ठीकेदार या फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरूद्ध नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (i),(ii),(iii),(v) एवं (x) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को अधिकत्तम दो वर्षों के लिए

कृ0पृ0उ0

निलंबित किया जायेगा अथवा एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में पदावनत किया जायेगा और एक अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्ता पाये जाने पर संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा। इसके अलावे नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (iv),(vi),(vii),(viii) तथा (ix) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा।

विश्वासभाजन

(रागध्यानि राय)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

05

29 / 147

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या– 154 दिनांक: 18/6/15

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका–11(क) में निम्न कदाचारों के कारण निबंधित ठीकेदारों का नाम कालीसूची में डालने/निश्चित अवधि के लिए निलम्बित करने अथवा अपने श्रेणी के नीचे के श्रेणी में पदावनत करने का प्रावधान है :–

(i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।
(ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।
(iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियां, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।
(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।
(v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।
(vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।
(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।
(viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।
(ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सलायपता होने पर।
(x) सोची–समझी साजिश के तहत संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।

2. उक्त कदाचारों की स्थिति में दण्ड का वर्गीकरण विभागीय पत्रांक–4104(ई0) दिनांक 28.10.09 द्वारा निम्नवत् किया गया है :–

2.1 निबंधित ठीकेदार या फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरूद्ध नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (i), (ii), (iii), (v) एवं (x) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को अधिकतम दो वर्षों के लिए निलंबित किया जायेगा अथवा एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में पदावनत किया जायेगा और एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्तता पाये जाने पर संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा। इसके अलावे नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (iv), (vi), (vii), (viii) एवं (ix) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा।

3. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम–11(क) में संवेदकों को कालीकृत, निलंबित या पदावनत किये जाने का प्रांवधान है। इसके आलोक में कई संवेदकों को कालीकृत किया गया है जो न्यायालय के शरण में गये हैं।

4. सूरज निर्माण प्रा० लि० के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या–Civil Appeal No.10007 of 2014 [Arising out of SLP(c) of 2012] में दिनांक 03.11.2014 में पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

4.1 In the circumstances, therefore, and keeping in view the decision of this court in M/s Kulja Industries case (surpa) we allow this appeal but only in part and to the extent that while the black listing order shall stand affirmed, the competent authority shall consider and pass appropriate orders determining the period for which such blacklisting shall remain operative. We permit the appellant-company to make any further representation to the competent authority in regard to the period for which the blacklisting may be ordered within six weeks from today. The Competent authority shall pass appropriate orders on the subject expeditiously but as far as possible within a period of six months from the date the appellant files its objections. The Competent authority shall while passing the order keep the observations made by this court in M/s Kulja Industries case (supra). No costs.

5. M/s Kulja Industries Limited Vs. Chief General Manager W.T. Proj. BSNL & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

5.1 The next question then is whether this Court ought to itself determine the time period for which the appellant should be blacklisted or remit the matter back to the authority to do so having regard to the attendant facts and circumstances. A remand back to the competent authority has appealed to us to be a more appropriate option than an order by which we may ourselves determine the period for which the appellant would remain blacklisted. We say so for two precise reasons. Firstly, because blacklisting is in the nature of penalty the quantum whereof is a matter that rests primarily with the authority competent to impose the same. In the realm of service jurisprudence this Court has no doubt cut short the agony of a delinquent employee in exceptional circumstances to prevent delay and further litigation by modifying the quantum of punishment but such considerations do not apply to a company engaged in a lucrative business like supply of optical fibre/HDPE pipes to BSNL. Secondly, because while determining the period for which the blacklisting should be effective the respondent Corporation may for the sake of objectivity and transparency formulate broad guidelines to be followed in such cases. Different periods of debarment depending upon the gravity of the offences, violations and breaches may be prescribed by such guidelines. While, it may not be possible to exhaustively enumerate all types of offences and acts of misdemeanour, or violations of contractual

obligations by a contractor, the respondent-Corporation may do so as far as possible to reduce if not totally eliminate arbitrariness in the exercise of the power vested in it and inspire confidence in the fairness of the order which the competent authority may pass against a defaulting contractor.

5.2 In the result, we allow this appeal, set aside the order passed by the High Court and allow writ petition No.2289 of 2011 filed by the appellant but only to the extent that while the order blacklisting the appellant shall stand affirmed, the period for which such order remains operative shall be determined afresh by the competent authority on the basis of guidelines which the Corporation may formulate for that purpose. The needful shall be done by the Corporation and/or the competent authority expeditiously but not later than six months from today. The parties are left to bear their own costs.

6. विभागीय पत्रांक–4104(ई0) दिनांक 28.10.2009 द्वारा यह दिशा निर्देश है कि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम–11(क) में उपबंधित कदाचार के किन–किन मामलों में संवेदकों को कालीसूची में डाला जायेगा, परन्तु कालीसूची में डाले जाने की अवधि निर्धारित नहीं है। जबकि M/s Kulja Industries Limited Vs. Chief General Manager W.T. Proj. BSNL & Ors. एवं इसके आलोक में सूरज निर्माण प्रा0 लि0 बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कालीकरण की अवधि निर्धारित करने का निदेश है।

7. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम–11(क)(ii) में मात्र "एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक" का उल्लेख है परन्तु कार्य निष्पादन में विभिन्न चूकों को चिन्हित नहीं किया गया है जिसके कारण संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई में कठिनाई हो रही है।

8. सम्यक विचारोपरान्त उक्त कंडिका 5, 6 एवं 7 के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली,2007 में अंकित कदाचार के लिये कालीकरण की अवधि का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

क्र0	कदाचार	कालीकरण की अवधि
1	एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।	
	(a) कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
	(b) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत।
	(c) एकरारनामा के एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
	(d) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरिम अथवा चालू विपत्र में fraud पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।

	(e) Defect Liability Period (DLP) में पथों का विहित संधारण नहीं किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
2	संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
3	ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
4	ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
5	एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
6	किसी आपराधिक गतिविधि में सजायपता होने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि तक (जो अधिक हो)।
7	ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।	पाँच वर्षों के लिए कालीकृत।
8	विभागीय पत्रांक–4104(ई0) दिनांक 20.10.09 की उत्तरवर्ती कंडिका के आलोक में यथा प्रावधानित "एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्त पाये जाने पर"।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत।

9. विभागीय पत्रांक–4104(ई0) दिनांक 20.10.2009 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

10. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

18.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06 / नियम–03–04 / 2002(फोल्डर) 5403 (S)/पटना, दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि-- सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित) / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव(प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06 / नियम–03–04 / 2002(फोल्डर) 5403(5) / पटना दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06 / नियम–03–04 / 2002(फोल्डर) 5403(5) / पटना, दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

18.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Powered By Software Education & Research (P) Ltd